भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1337
दिनांक 30 जुलाई, 2024/ 08 श्रावण, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

बाल दुर्व्यापार

†1337. श्री खलीलुर रहमानः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि संपूर्ण देश में बाल दुर्व्यापार बढ़ रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान तस्करों से बचाए गए बच्चों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है और उनकी संख्या कितनी है;

(ग) सरकार द्वारा बाल दुर्व्यापार को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) क्या सरकार के पास तस्करों द्वारा विदेश भेजे गए बच्चों का आंकड़ा है और यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री बंडी संजय कुमार)

(क) : राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा उसे सूचित किए गए अपराध संबंधी आंकड़ों को संकलित करता है और इन्हें अपने वार्षिक प्रकाशन 'क्राइम इन इंडिया' में प्रकाशित करता है। नवीनतम प्रकाशित रिपोर्ट वर्ष 2022 की है। विगत पांच वर्षों के दौरान दुर्व्यापार के शिकार पीड़ितों (18 वर्ष से कम आयु) के संख्या संबंधी आंकड़े, संख्या में वृद्धि की किसी सिलसिले-वार प्रवृत्ति को नहीं दर्शाते हैं।

लोक सभा अता. प्रं सं. 1337 दिनांक 30.07.2024

(ख) : पिछले पांच वर्षों के दौरान बचाए गए पीड़ितों (18 वर्ष से कम आयु) की संख्या निम्नानुसार हैः

क्र.सं.	वर्ष	बचाए गए पीड़ित (18 वर्ष से कम आयु)
1	2018	2484
2	2019	2746
3	2020	2151
4	2021	2691
5	2022	3098

(ग) : भारत के संविधान की सातवीं अनूसूची के तहत 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' "राज्य-सूची" के विषय हैं। बाल दुर्व्यापार के अपराध की रोकथाम करने और उससे निपटने की जिम्मेदारी प्राथमिक रूप से संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की होती है, जो कानून के मौजूदा प्रावधानों के तहत ऐसे अपराधों से निपटने के लिए सक्षम हैं।

तथापि, भारत सरकार समय-समय पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को बाल दुर्व्यापार सहित मानव दुर्व्यापार को रोकने और उसका मुकाबला करने के संबंध में जारी की गई विभिन्न एडवाइजरी के रूप में दिशानिर्देश देते हुए उनके द्वारा इस संबंध में किए जाने वाले प्रयासों में भी सहायता प्रदान करती है। मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सभी जिलों को कवर करते हुए मानव दुर्व्यापार रोधी यूनिटों (एएचटीयू) के स्तरोन्नयन/स्थापना के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की है। मानव दुर्व्यापार के मुद्दे से व्यापक तरीके से निपटने के उद्देश्य से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के सभी स्तरों – राज्य मुख्यालय स्तर, जिला स्तर और पुलिस स्टेशन स्तर पर एक संस्थागत तंत्र स्थापित करने के लिए एडवाइजरी जारी की गई हैं। यह मंत्रालय, मानव दुर्व्यापार के मुद्दे से संकेन्द्रित और कारगर तरीके निपटने के लिए पुलिस अधिकारियों/विधि अधिकारियों को नवीनतम पहल/विकास आदि के बारे में जानकारी प्रदान करने हेतु 'राज्य स्तरीय सम्मेलन' और 'न्यायिक वार्तालाप' आयोजन करने में भी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान करता रहा है।

(घ) : इस संबंध में विशिष्ट सूचना राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो सूचित नहीं करता है।
